



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 30.03.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 258/2025 धारा 352/109(1)/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 29.03.2025 को वादिया श्रीमति पूनम शर्मा पत्नी अशोक निवासी मौहल्ला ब्रह्मनन करखा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि दिनांक 28.03.2025 को अभियुक्तगण चाँदू उर्फ अभिषेक पुत्र विमल उर्फ पप्पू शर्मा निवासी मौ0 ब्रह्मनन थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर व 02 अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा वादिया के साथ गाली-गलौच करते हुये, उसके ऊपर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किया गया तथा वादिया व वादिया के पुत्र को जान से मारने की धमकी दी गयी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 258/2025 धारा 352/109(1)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त चाँदू उर्फ अभिषेक पुत्र विमल उर्फ पप्पू शर्मा निवासी मौ0 ब्रह्मनन थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

चाँदू उर्फ अभिषेक पुत्र विमल उर्फ पप्पू शर्मा निवासी मौ0 ब्रह्मनन थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 श्री अंकुरपाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.का0 1599 गौरव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.का0 1643 अक्षय कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना चांदपुर

दिनांक 30.03.2025

थाना चांदपुर पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा मु0अ0सं0 170/25 धारा 3(5)/103(1)/238(a) बीएनएस में वांछित 03 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व मृतक के मोबाइल फोन सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 30.03.2025 को वादी श्री करन सिंह पुत्र श्री रामकुवंर सिंह निवासी ग्राम बून्दरा खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि वादी का पुत्र विवेक कुमार ग्राम रसूलपुर स्थित लाइब्रेरी में पढाई करता था । दिनांक 17.03.2025 को वादी का पुत्र पढाई



करके जब घर वापस नहीं आया तो दिनांक 18.03.2025 को उसकी गुमशुदगी थाने पर दर्ज करा दी । जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण 1- विवेक पुत्र राकेश 2- अभिषेक पुत्र राजेन्द्र 3- अनुज पुत्र बिजेन्द्र निवासीगण ग्राम बून्दरा खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने वादी के बेटे का गला दबाकर मार दिया और उसके शव को फंदे से लटका दिया । दिनांक 25.03.2025 को रसूलपुर नंगला के खेतों में वादी के बेटे का शव पेड़ से लटका मिला था । इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 170/25 धारा 3(5)/103(1)/238(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

थाना चांदपुर पुलिस व स्वाट/सर्विलांस टीम द्वारा मु0अ0सं0 170/25 धारा 3(5)/103(1)/238(a) बीएनएस में वांछित अभियुक्तगण 1- विवेक पुत्र राकेश 2- अभिषेक पुत्र राजेन्द्र 3- अनुज पुत्र बिजेन्द्र निवासीगण ग्राम बून्दरा खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल सहित गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण की निशादेही पर ग्राम लेनपुरी जटौला को जाने वाली सड़क पर नहर किनारे मृतक विवेक के मोबाइल के अवशेष जो पूर्व में अभियुक्तगणों द्वारा जला दिया गया था, को बरामद किया गया और घटना में प्रयुक्त रस्सी को पूर्व में फील्ड यूनिट द्वारा मौके से ही बरामद की जा चुकी है ।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्त विवेक पुत्र राकेश उपरोक्त ने बताया कि उसके गांव का विवेक (मृतक) पुत्र करन सिंह उसकी बहन के बारे में उल्टी सीधे बातें व चर्चा फैला रहा था तो उसी बात को लेकर दिनांक 17.03.2025 को पूर्व सुनियोजित योजना के अनुसार उसका साथी अभिषेक, विवेक (मृतक) को लाइब्रेरी से अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर नहर की पटरी पर ले आया और वहां पर पहले से मौजूद विवेक और उसका अन्य साथी अनुज, विवेक की बहन के बारे में विवेक (मृतक) से बात करने लगे तो विवेक (मृतक) उनके साथ गाली गलौच करते हुये झगडा करने लगा, तभी तीनों ने मिलकर विवेक (मृतक) के हाथों व गले को दबाकर पकडा, जिससे वह बेहोश हो गया और उसकी मृत्यु हो गयी । उसके बाद उसके शव को उठाकर एक गन्ने के खेत में ले गये और हत्या को आत्महत्या दिखाने के लिए शव को पेड़ से रस्सी का फंदा बनाकर लटका दिया तथा विवेक (मृतक) का मोबाइल निकालकर वहां से 500 मीटर की दूरी पर लेनपुरी जटौला की ओर चलकर रास्ते किनारे पर मोबाइल पर पेट्रोल छीडक कर आग लगा दी थी ।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का नाम व पता –

- 1- विवेक पुत्र राकेश निवासी ग्राम बून्दरा खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2- अभिषेक पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम बून्दरा खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 3- अनुज पुत्र बिजेन्द्र निवासी ग्राम बून्दरा खुर्द थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

- 1- घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल (1- बिना नम्बर हीरो होण्डा एचएफ डीलक्स 2- बजाज सीटी नं0 यूपी16के-2190)
- 2- मृतक विवेक के मोबाइल के जले हुए अवशेष ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- थाना प्रभारी श्री पुष्कर सिंह मेहरा थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 2- निरीक्षक श्री सचिन मलिक प्रभारी स्वाट मय टीम जनपद बिजनौर ।
- 3- उ0नि0 श्री अवनीत मान स्वाट टीम जनपद बिजनौर ।
- 4- उ0नि0 श्री विकास कुमार प्रभारी सर्विलांस मय टीम जनपद बिजनौर ।
- 5- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 6- उ0नि0 श्री संदीप पंवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 7- आरक्षी सागर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 8- आरक्षी अंकुर कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 9- आरक्षी शैलेन्द्र कान्त थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 10- आरक्षी सोहित कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ।
- 11- आरक्षी सुजीत सर्विलांस टीम जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 30.03.2025

**थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 268/2025 धारा 303(2)/317(2)
बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 29.03.2025 को वादी श्री अमरीक सिंह पुत्र कांति प्रसाद निवासी इन्द्रलोक कॉलोनी कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी कि वादी व वादी के दो मित्रों के द्वारा अभियुक्तगण 1.सौरभ कुमार पुत्र मलखान सिंह निवासी ग्राम पाडला थाना किरतपुर जनपद बिजनौर व 2.राजा पुत्र नरेश कुमार निवासी मौ0 खत्रियान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 3.अमित पुत्र पतराम सिंह निवासी ग्राम कश्मीरी थाना नहतौर जनपद बिजनौर को उसके घर के पास खाली प्लॉट से लगभग 30 कि0 ग्राम बिजली के एल्युमिनियम के तार को काटकर चोरी करते हुए मौके पर ही पकड़ लिया था, लेकिन



अभियुक्त अमित कुमार उपरोक्त मौके का फायदा उठाकर भाग जाने में सफल रहा । थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा सौरभ व राजा उपरोक्त को गिरफ्तार कर प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0स0 268/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

- 1.सौरभ कुमार पुत्र मलखान सिंह निवासी ग्राम पाडला थाना किरतपुर जनपद बिजनौर
- 2.राजा पुत्र नरेश कुमार निवासी मौ0 खत्रियान कस्बा व थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामद माल का विवरण :-

लगभग 30 किलो ग्राम बिजली के एल्युमिनियम के तार



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट-थाना हल्दौर

दिनांक-30.03.2025

**थाना हल्दौर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 72/2025 धारा 109(1)/352 बीएनएस व 3/25
आर्म्स एक्ट में वांछित अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.03.2025 को वादी महेन्द्र सैनी पुत्र मुनवा सिंह निवासी ग्राम पैजनिया थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर जनपद बिजनौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त आयुष कुमार पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गावडी पोटा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने वादी के बेटे कमलकान्त के साथ गाली गालौच की व जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर किया, जिससे वह बाल - बाल बच गया । इस संबंध में में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 72/2025 धारा 109(1)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही:-

थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आयुष कुमार पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गावडी पोटा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 315 बोर तथा उसमें फंसा खोका कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गयी । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

आयुष कुमार पुत्र योगेन्द्र सिंह निवासी ग्राम गावडी पोटा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

बरामदगी:-

एक अवैध तमंचा 315 बोर व खोका कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास-

- 1..मु0अ0सं0 447/2023 धारा 147/148/308/323/324/325/34/452 भादवि थाना को0शहर बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 255/2024 धारा 109/352/351(2)/351(3) भादवि थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0 72/2025 धारा 109(1)/352 बीएनएस थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 योगेश कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
2. उ0नि0 बब्लू कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर
3. का0 1776 प्रवीण शर्मा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

4. का0 628 आशीष कुमार थाना हल्दौर जनपद बिजनौर



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली शहर

दिनांक 30.03.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही :-

दिनांक 30.03.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा अभियुक्त जहुर पुत्र भूरा मंसूर निवासी मौहल्ला मिर्दगान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को 01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया, जो थाना कोतवाली शहर का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त(H.S NO.197(A)) है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 269/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :-

जहुर पुत्र भूरा मंसूर निवासी मौहल्ला मिर्दगान थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण:-

01 अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जहुर उपरोक्त-

- 1.मु0अ0सं0 314/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 2.मु0अ0सं0 556/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 3.मु0अ0सं0 311/20 धारा 398/411 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 4.मु0अ0सं0 528/21 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 5.मु0अ0सं0 665/22 धारा 307/323/324/504/506 भादवि थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 6.मु0अ0सं0 115/23 धारा 307 भादवि व धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना को0 शहर जनपद बिजनौर
- 7.मु0अ0सं0 117/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर
- 8.मु0अ0सं0 269/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 अंकुरपाल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 2.का0 1198 संदीप सिंह थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
- 3.का0 1475 अश्वनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना कोतवाली देहात

दिनांक 30.03.2025

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मु0अ0स0 24/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/333/109(1)/118(1) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 15.02.2025 को वादिया शमीमा पत्नी शब्बन निवासी ग्राम व पोस्ट अकबराबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर ने थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.अबरार पुत्र अब्दुल समद 2.अफजाल पुत्र अब्दुल समी 3. अर्शु पुत्र अबरार निवासीगण ग्राम अकबराबाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर व एक व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा घर में घुसकर उसके पति शब्बन के साथ गाली - गलौच कर धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से सिर पर वार किया , जिससे वह घायल हो गया तथा जान से मारने की धमकी दी । इस संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0स0 24/2025 धारा 115(2)/352/351(3)/333/109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया । विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान मेडिकल के आधार पर अभियोग में धारा 118(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी ।



कार्यवाही:-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अबरार पुत्र अब्दुल समद नि0 ग्राम अकबराबाद थाना कोतवाली देहात बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं । आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अबरार पुत्र अब्दुल समद नि0 ग्राम अकबराबाद थाना कोतवाली देहात बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- 1.उ0नि0 विक्रान्त कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 2.हे0का0 811 रजनेश कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर
- 3.का0 2052 नीटू कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर